प्रेषक,

अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
गाजियाबाद ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
सी–1,विकान्त खण्ड–1,गोमती नगर,
लखनऊ।

पंत्राकः 27 /जि0उ0वि0प्र0/गाजियाबाद/ दिनांक- 09-05-2022

विषयः मध्यस्थता प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु विज्ञप्ति को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गाजियाबाद में मध्यस्थता प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु इस जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की विज्ञप्ति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

आदर सहित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

09/05/2022

(प्रवीण कुमार जैन)
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
गाजियाबाद ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गाजियाबाद कलेक्ट्रेट परिसर गाजियाबाद।

सूचना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गाजियाबाद से सम्बद्व मध्यस्थता प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थता के लिये मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करना प्रस्तावित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा–75 उपभोक्ता संरक्षण मध्यस्थता नियम, 2020 और उपभोक्ता संरक्षण मध्यस्थता विनियम, 2020 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या सी0पी0 480/2021/84–2–2021 सी0एन0 1369528 दिनांक 15.11.2021 के संदर्भ में पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है, जो निम्नलिखित मानदंडो को पूरा करते है:–

1. माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त नयायधीश है।
2. उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृतत सदस्य है।
3. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश या किसी राज्य की उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृतत सदस्य है।
4. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी जिनके पास दस वर्ष का अनुभव है ।

5.वकालत में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता।

6. भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ के साथ पैनलबद्व मध्यस्थ है।

7. मध्यस्थता /सुलह में न्यूनतम पांच वर्षे का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति ।
8. न्यूनतम पंद्रह वर्षो का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी।

2. मध्यस्थों के नियम और शर्ते, मध्यस्थों को देय शुल्क सहि, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होगे।

3. मध्यस्थता नियुक्ति सम्बन्धी सभी आवेदन पत्र वरिष्ठ सहायक श्री मुकेश कुमार सिंह द्वारा ऑनलाइन एवं दस्ती प्राप्त किये जायेंगे। समेकित करते हुये अगले कार्यदिवस में चयन समिती के समक्ष रखे जायेंगें।

5. चयन समिती उम्मीदवारों की उपयुक्ता, सत्यनिष्ठा के साथ–साथ प्रासंगिक अनुभव को ध्यान में रखते हुये, आवेदनों की जांच और शार्टलिस्टिंग और अपनी सिफारिशें करने के लिये अपनी प्रकिया निर्धारित करने के लिये किसी भी मानदंड को अपना सकती है।
6. इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन ई–मेल आईडी confo-gz-up@nic.in पर एवं व्यक्तिगत रूप से श्री मुकेश कुमार सिंह वरिष्ठ सहायक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, को दिनांक 21.05.2022 को सायं 5:00 तक निर्धारित प्रारूप पर जमा कर सकते है।

09/05/2022

(प्रवीण कुमार जैन)
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
गाजियाबाद।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, विकास भवन के सामने कलेक्ट्रेट परिसर गाजियाबाद ।

एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हो।

1	नाम	
2	ए. पिता का नाम बी. माता का नाम	
3	वैवाहिक स्थितिः विवाहित या अविवाहित विवाहित है तो जीवन साथी का नाम	
4	जन्म तिथि	
5	स्थायी पता	
6	मोबाइल नम्बर और ईमेल आईडी के साथ पत्राचार का पता	
7	वर्तमान व्यवसाय और वार्षिक आय	
8	शैक्षणिक योगयता	
9	मध्यस्थता और शैक्षणिक क्षेत्र/सेवा में अनुभव	
10	क्या आपने कभी राज्य/केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पोस्ट पर कार्य किया है? यदि हॉ, तो विवरण दें,	
11	क्या आपने कभी मध्यस्थता का कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है? यदि हां, तो विवरण दें और अपेक्षित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
12	ए. स्थायी खाता संख्या (पैन) बी. आधार संख्या	
13	क्या आवेदक के विरूद्व कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है ?	
14	क्या आवेदक पर किसी आपराधिक मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है? यदि हॉ, तो उसका ब्यौरा क्या है।	

15	क्या आवेदक को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्व किया गया है? यदि हॉ, तो तत्सम्बधी ब्यौरा	
16	कोई अन्य जानकारी जो कॉलम नंबर 1 से 15 के अंर्तगत नही आती हैं	

आवेदक के हस्ताक्षर और नाम

दिनांकः—

स्थानः—

टिप्पणियॉः—

1. आयु, शैक्षणिक योगयता, अनुभव आदि के समर्थन में सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।
2. उम्मीदवार को ऊपर दिये गये निर्देशो और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।